संख्या : ए–2–23/दस–2011–17(4)/75

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 25 जनवरी, 2011

विषय : प्रतिशत प्रभार की दर ।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–ए–2–87–दस–97–17(4)–75 दिनाँक 27 फरवरी, 1997 तथा इसके क्रम में जारी शासनादेश संख्या–ए–2–225–दस–98–17(4)–75 दिनाँक 19 अगस्त, 1998 व संख्या–ए–2–1118–दस–99–17(4)/75 दिनाँक 24 मार्च, 1999 एवं नगर विकास अनुभाग–5 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–3058/नौ–5–2004–145सा/2004 दिनाँक 22 दिसम्बर, 2004 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष निम्नवत् आदेश दिये गये हैं :

(1) डिपाजिट के रूप में अथवा कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) प्रणाली के अन्तर्गत किये जा रहे समस्त कार्यों पर कार्य की लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किया जाय । इस प्रतिशत प्रभार में 01 प्रतिशत आडिट एवं एकाउण्ट्स शुल्क सम्मिलित है तथा इसका विभाजन आवश्यकतानुसाार निम्नलिखित रूप से होगा :

| | |
|---|---|
| पूर्ण परियोजनाएं एवं ब्योरेवार अनुमान (प्रारम्भिक अनुमानों के व्यय सहित) । | 1.5 प्रतिशत |
| कार्यो का निष्पादन लेखा परीक्षा सहित | 11.0 प्रतिशत |
| जिन मामलों में केवल प्रारम्भिक परियोजनाएं और अनुमानित प्राक्कलन बनाये जायेंगे । | 1.0 प्रतिशत |

(2) सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाईयों / स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में तथा राजकीय कार्यदायी विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) प्रणाली व डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर सेन्टेज कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा ।

(3) विभागों द्वारा परियोजनाओं का गठन करेन्ट एस.ओ.आर. पर किया जाय तथा यदि परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो आगामी वर्ष / वर्षों के लिए परियोजना लागत में लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रोजेक्टेड एस.ओ.आर. के अनुसार वृद्धि को भी सम्मिलित कर लिया जाय । नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा अनुमन्य मूल्य वृद्धि के अनुसार आगणनों का गठन किया जाय ।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा पोषित परियोजनाओं में कार्य की लागत के साथ–साथ प्रतिशत कन्टीन्जेन्सी व्यय यदि भारत सरकार द्वारा अनुमन्य कराया जाता है तो उसे यथावत् अनुमन्य मान लिया जायेगा । इसके साथ–साथ यदि केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय / ओवर हेड एक्सपेंसेज़ (वर्क चार्ज अधिष्ठान सहित) के लिए भी धनराशि अनुमन्य करायी जाती है तो केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित लागत में से इन्हें निकालकर शेष धनराशि में से 5 प्रतिशत कमी करते हुए उसपर 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्ज की राशि राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करायी जाय । उपरोक्तानुसार आंकलित परियोजना लागत में से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के अन्तर के समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा सेन्टेज चार्जेज / अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय के रूप में कार्यदायी संस्था को स्वीकृत की जायगी ।

(5) प्रोप्राइटरी / बॉट आउट आइटम्स पर सेन्टेज चार्जेज अनुमन्य नहीं होंगे । परन्तु केन्द्र सरकार / केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा पूर्ण / आंशिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रोप्राइटरी / बॉट आउट आइटम्स पर कन्टीन्जेन्सी / प्रशासनिक व्यय केन्द्र सरकार / केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सम्मिलित किया जायेगा । इन परियोजनाओं के केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सेन्टेज चार्जेज की गणना के लिए इन आइटम्स को सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(6) केन्द्र सरकार / केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत में यदि कोई वृद्धि होती है तो उस वृद्धि का आंकलन व्यय वित्त समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर किया जाय और व्यय वित्त समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार धनराशि स्वीकृत करने पर विचार किया जाय ।

(7) पूर्वांचल / बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं (निधियों) के लिए अन्य सामान्य योजनाओं की भाँति बजट प्रावधान किया जाता है । बजट प्रावधान के समक्ष स्वीकृत परियोजनाओं पर सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाईयों / स्वायत्तशासी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सेन्टेज चार्जेज लिए जाते हैं, लेकिन यदि वही कार्य लोक निर्माण विभाग तथा अन्य राजकीय कार्यदायी विभागों द्वारा किये जाते हैं तो कोई सेन्टेज चार्ज अनुमन्य नहीं किया जाता । यह न केवल एक विसंगति है वरन् राजकीय विभागों द्वारा सम्पादित कार्यों में सेन्टेज के रूप में प्रशासकीय व्यय को सम्मिलित न किये जाने के कारण परियोजना लागत का सही–सही प्रदर्शन नहीं होता है और राज्य का राजस्व भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है । अतः ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के सन्दर्भ में राजकीय कार्यदायी विभागों को भी सेन्टेज अनुमन्य होगा । यही व्यवस्था विधायक निधि से किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में भी लागू होगी ।

2– लोक निर्माण विभाग सहित अन्य राजकीय कार्यदायी विभागों द्वारा सी.सी.एल. प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले नये निर्माण कार्यों (अनुदान संख्या 81 व 83 के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों सहित) के लिए निर्माण लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज (अधिष्ठान व्यय) जोड़कर आगणनों का गठन किया जाय । इन विभागों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिए सेन्टेज चार्जेज सहित कार्य की स्वीकृत लागत परियोजना पर व्यय के रूप में दिखायी जायेगी परन्तु सेन्टेज

चार्जेज की धनराशि का संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जावेगा ।

3— उपरोक्त आदेश सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू होगें और यदि सेन्टेज चार्जेज आदि के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों द्वारा अन्यथा कोई आदेश जारी किये गये हैं तो वे निरस्त समझे जायेंगे । वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथा–समय किये जायेंगे ।

कृपया इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : ए–2–23 (1)/दस–2011–17(4)/75, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1— प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ ।
4— आयुक्त, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ।
5— प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
6— प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7— समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9— निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10— वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माण / सिंचाई / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा / लघु सिंचाई / भूगर्भ जल विभाग व वन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
11— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ ।
13— सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

आर.के.वर्मा

(आर.के.वर्मा)
विशेष सचिव ।

शासनादेश संख्या : ए–2–23/दस–2011–17(4)/75, दिनाँक 25 जनवरी, 2011 का संलग्नक

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | सेन्टेज चार्जेज की धनराशि से सम्बन्धित लेखा शीर्ष |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | लोक निर्माण विभाग | 0059– लोक निर्माण कार्य<br>01– कार्यालय भवन<br>103– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| | | 0059– लोक निर्माण कार्य<br>60– अन्य भवन<br>103– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| | | 0059– लोक निर्माण कार्य<br>80– सामान्य<br>103– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| | | 1054– सड़क तथा सेतु<br>800– अन्य प्राप्तियाँ<br>01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| 2 | सिंचाई विभाग | 0700– मुख्य सिंचाई<br>80– सामान्य<br>800– अन्य प्राप्तियाँ<br>01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| | | 0701– मध्यम सिंचाई<br>80– सामान्य<br>800– अन्य प्राप्तियाँ<br>01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| 3 | लघु सिंचाइ विभार्ग | 0702– लघु सिंचाई<br>80– सामान्य<br>800– अन्य प्राप्तियाँ<br>01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| 4 | ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग | 0515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>800– अन्य प्राप्तियाँ<br>02– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| 5 | वन विभाग | 0406– वानिकी एवं वन्य प्राणी<br>01– वानिकी<br>800– अन्य प्राप्तियाँ<br>01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |
| | | 0406– वानिकी एवं वन्य प्राणी<br>02– पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन<br>800– अन्य प्राप्तियाँ<br>01– प्रतिशतता प्रभारों की वसूली |